# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्याः–05/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00005)

1. श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व0 श्री भंवर सिंह
2. श्री नारायण सिंह पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह
3. श्री गोपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह
4. लक्ष्मी पुत्री स्व0 श्री भंवर सिंह
5. बदामी पुत्री स्व0 श्री भंवर सिंह

समस्त जाति रावतान, निवासीयान कलाली का बाडिया तहसील रायपुर जिला पाली राजस्थान

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. श्री सरदार सिंह मृतक जरिए उसके वारिसान
   1/1 गेल सिंह पुत्र
   1/2 हरि सिंह पुत्र
   1/3 हेम सिंह पुत्र
   1/4 सोहनी पुत्री
   1/5 मिठ्ठु पुत्री
   समस्त जाति रावतान, समस्त निवासीगण भीलातो का बाडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्री नेनू सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति रावत, निवासी–भीलातो का वाडिया तहसील जिला अजमेर।
3. श्री गोकुल सिंह मृतक जरिए उसके वारिसान
   3/1 श्रीमती धापू पत्नी स्व0 श्री गोकुल सिंह
   3/2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री गोकुल सिंह
   3/3 श्रीमती काका पुत्री स्व0 श्री गोकुल सिंह
   3/4 श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 श्री गोकुल सिंह
   3/5 श्रीमती शांति पुत्री स्व0 श्री गोकुल सिंह
   3/6 श्रीमती इंद्रा पुत्री स्व0 श्री गोकुल सिंह
   3/7 श्रीमती पार्वती पुत्री स्व0 श्री गोकुल सिंह
   समस्त जाति–रावतान समस्त निवासीगण–भीलातो का बाडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. श्रीमती झमरी वेवा श्री अमर सिंह (नाऔलाद) फौत डिलिट/तर्क।
5. श्रीमती चंद्रा उर्फ चन्द्रसिंह वयस्क पुत्र श्री देवी सिंह
6. श्री मोटा सिंह पुत्र श्री देवी सिंह
7. श्री भंवरू पुत्र पुत्र श्री देवी सिंह
8. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री देवी सिंह
9. श्रीमती कंकू वयस्क वेवा श्री मोडा
10. श्री सोहन वयस्क पुत्र श्री मोडा
11. श्रीमती रेखा वयस्क पुत्री श्री मोडा
12. श्रीमती जैनी वयस्क पुत्री श्री मोडा
13. श्रीमती गुलाबी वयस्क पुत्री श्री मोडा
14. श्रीमती जसोदा वयस्क पुत्री श्री मोडा
15. श्री धन्ना सिंह वयस्क पुत्र श्री हीरा
16. श्री भोजराज पुत्र श्री धन्ना सिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

17. श्री तारा सिंह पुत्र श्री धन्ना सिंह
समस्त जाति–रावतान समस्त निवासीगण–भीलातो का बाडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
18. श्री भैरू सिंह पुत्र श्री मंगला मृतक जरिए वारिसानः–
18/1 श्रीमती पताशी बेवा स्व0 श्री भैरू सिंह
18/2 श्री चिमन सिंह पुत्र स्व0 श्री भैरू सिंह
18/3 श्री इंद्र सिंह पुत्र स्व0 श्री भैरू सिंह
18/4 श्रीमती लीला पुत्र स्व0 श्री भैरू सिंह
समस्त जाति–रावतान समस्त निवासीगण–भीलातो का बाडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
19. श्री पदम सिंह पुत्र श्री मंगला
20. श्री पूरण सिंह पुत्र श्री मंगला
21. श्रीमती गंगा विधवा स्व0 श्री मंगला
समस्त जाति रावतान समस्त निवासीगण–भीलातो का बाडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
22. श्री तेज सिंह पुत्र श्री मेरा सिंह मृतक जरिए विधिक वारिसानः–
22/1 श्रीमती दाखू पत्नी स्व0 श्री तेजसिंह
22/2 श्री हुकम सिंह पुत्र स्व0 श्री तेजसिंह
22/3 श्री पांचू सिंह पुत्र स्व0 श्री तेजसिंह
22/4 श्री रतन सिंह पुत्र स्व0 श्री तेजसिंह
समस्त जाति–रावतान समस्त निवासीगण–देवनगर तहसील रायपुर जिला पाली (राज0)
23. श्री भोम सिंह पुत्र स्व0 श्री लाल सिंह मृतक जरिए वारिसानः–
23/1 श्रीमती तुलसी पत्नी श्री भोम सिंह
23/2 श्री किशन सिंह पुत्र स्व0 श्री भोम सिंह मृतक जरिये वारिसानः–
23/2/1–श्रीमती सुखी पत्नी स्व0 श्री किशन सिंह
23/2/2 –श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री किशन सिंह
23/2/3–श्री बलवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री किशन सिंह
23/2/4–श्री मुकेश सिंह पुत्र स्व0 श्री किश्न सिंह
23/2/5–श्रीमती कंचन पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह
समस्त जाति रावतना समस्त निवासीगण–भीलातो का बाडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
23/3–श्री तेजपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री भोम सिंह
23/4–श्री नारायण सिंह पुत्र स्व0 श्री भोम सिंह
समस्त जाति रावतान समस्त निवासीगण– भीलातो का बाडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
24. श्री भंवर सिंह पुत्र स्व0 श्री कालू सिंह मृतक जरिये वारिसानः–
24/1–श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 श्री भंवर सिंह
24/2–श्री गुलाब सिंह पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह
24/3–मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह
24/4– महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह
समस्त जाति रावतान समस्त निवासीगण–भीलातो का बाडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
25.श्री गणपत सिंह पुत्र स्व0 श्री पूनमसिंह
26.श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री पूनमसिंह
27.श्री रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री पूनमसिंह
28.श्रीमती सुनीता पुत्री स्व0 श्री पूनमसिंह
समस्त जाति रावतान समस्त निवासीगण– भीलातो का बाडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

29. तहसीलदार ब्यावर बहैसियत लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार।
30. उप पंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर जिला अजमेर।
31. जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर।

**रेस्पोडेन्टस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 29/2012**

**उपस्थितः–**

1. श्री एतेश्याम चिश्ती, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री सुनिल पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5,एवं 2, 3/1 से 3/7 एवं 04.
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 29 से 31.
4. रेस्पोडेंट संख्या 05 से 28 अनुपस्थित.

## निर्णय

**दिनांकः–22.02.2023**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर वाद संख्या 29/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 4 वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर, जिला अजमेर के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजूदा प्रकरण का कथित रूपी निर्णय दिनांक 6.6.2017 को केम्प कोर्ट में अपीलार्थीगण को सुनवाई का मौका दिए विना तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का नोटिस दिए विना तथा अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में तथा अपीलार्थीग्ण द्वारा उठाए गए तथ्यों एवं अभिकथनों का विधि सम्मत निरतारण किए बिना तथा साथ ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का एवं दस्तावेज व शहादत का अवसर दिए बिना तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार की शहादत कलमबंद किए बिना तथा किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित किए बिना कथित रूप से वादीगण के पक्ष में दिनांक 6.6. 2017 को प्रांरम्भिक डिक्री पारित करने में भारी विधिक त्रुटि व भूल पारित कर दी गई जिस कथित निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 8.6.2017 को अपीलार्थीगण को हुई। अपीलार्थीगण द्वारा बिना देरी किए 8.6.2017 को ही आलौच्य निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय एवं उसके कर्मचारिगण द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रमाणित प्रति हेतु प्राप्त करने हेतु अनेकों चक्कर लगाए जाने पर उन्हें यह आश्चासन दिया गया कि आपके प्रकरण में फैसला नहीं लिखाया गया है तथा प्रकरण की फाईल मजिस्ट्रेट साहब के पास है जिसके उपरांत भी अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित रूप से पारित निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

की प्रमाणित प्रति हेतु लगभग 5 माह की अवधि तक चक्कर लगाए जाने के उपरांत भी अपीलार्थी को कथित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई तदुपरांत अपीलार्थीगण द्वारा मौखिक रूप से मजिस्ट्रेट साहब को काफी तकाजे व अनुरोध किए जाने के पश्चात दिनांक 1.11.2017 को कथित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति अपीलार्थीगण को प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर वाद संख्या 29/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेसपोडेंट संख्या 5 से 28 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 जा.दी. पर जवाब/बहस में कथन किया कि रेसपोडेन्ट संख्या 06 की तामील हो चुकी थी तथा रेसपोडेन्ट संख्या 06 मोटा सिंह पुत्र देवी सिंह की न्यायालय के समक्ष एक्सपार्टी हो चुकी थी तथा एक्सपार्टी किये गये पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है इसलिए अभिभाषक रेसपोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5,एवं 2, 3/1 से 3/7 एवं 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 जाप्ता दीवानी सारहीन होने से खारिज किया जावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण को ना तो सुनवाई का अवसर प्रदान किए एवं साथ ही निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आवश्यक तत्वों पर गंभीर उल्लंघन करते हुए पारित की गई है क्योंकि दिनांक 6.6.2017 के राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट नून्दरी मेन्द्रतान में अपीलार्थीगण व उसके अधिवक्ता को ना तो उपस्थिति का अवसर प्रदान किया ना ही नोटिस जारी किए तथा ना ही उनकी कोई सहमति ही ली गई थी तथा ना ही कोई बहस सुनी गई केवल मात्र वादीगण की उपस्थिति दर्ज करते हुए समस्त पक्षकारान के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपनी विभिन्न आदेशिका जिनमें प्रकरण के पक्षकारान की मृत्यु होने का उल्लेख व सूचना होते हुए विधिक समयावधि में आदेश 22 सीपीसी के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 का मूल वाद विधि के आवश्यक प्रावधानों के विपरीत रूप से वादीगण का वाद उपशमित अथवा अबेट होते हुए भी अबेटमेंट की कार्यवाही नहीं कर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 1 की विधिक उपस्थिति होते हुए भी उसके जवाब को एवं उसकी उपस्थिति को रिकार्ड पर नहीं लेते हुए निर्णय व डिक्री पारित कि गई है। अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादी संख्या 19 भोमसिंह पुत्र श्री लालसिंह की मृत्यु दिनांक 20.2.2012 को होने तथा इसकी पर्याप्त सूचना व दस्तावेज होते हुए उसकी मृत्यु उपरांत दिनांक 13.8.2013 को मृतक व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत जवाब दिनांक 12.3.2014 को रिकार्ड पर लेते हुए प्रत्यक्ष रूप से त्रुटि कर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 26 नारायण सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जो कि भारतीय सेना में नियमित रूप से तैनाती रहते हुए उसकी ओर से जाली व कूटरचित वकालतनामा जो कि वादीगण को प्रत्यक्ष रूप से अवैध लाभ व उसकी साजिश पूर्ण कृत्यों

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

में अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत कर उसके फर्जी जवाब दावे को असली बताते हुए न्यायालय को भ्रमित कर निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 2 नारायण सिंह द्वारा दिनांक 25.11.2014 को अपनी हस्तलिखित प्रार्थना पत्र क आधार पर सत्य अभिकथनों से अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराने के उपरांत भी अपीलार्थी संख्या 2 के कथनों को दरकिनार कर तथा उसके कथनों को विधि सम्मत जांच किए बिना तथा उसको सनुवाई का अवसर दिए बिना व शहादत का अवसर दिए बिना निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 3 गोपाल सिंह द्वारा दिनांक 12.10.2014 को अपनी हस्तलिखित प्रार्थना पत्र क आधार पर सत्य अभिकथनों से अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराने के उपरांत भी अपीलार्थी संख्या 2 के कथनों को दरकिनार कर तथा उसके कथनों को विधि सम्मत जांच किए बिना तथा उसको सनुवाई का अवसर दिए बिना व शहादत का अवसर दिए बिना निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को कथित निर्णय व डिक्री उपलब्ध कराने में जो लगभग 5 माह की अवधि गवाई है उसके पीछे भी अधीनस्थ न्यायालय की मंशा जाहिर होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजूदा प्रकरण में प्रकियात्मक विधि के आवश्यक तत्वों की अनदेख करते हुए तथा लॉ ऑफ इक्वीटि के सिद्धांत के विपरीत जाकर तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के मेनडेटरी प्रोविजन की अनदेखी करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर प्रकरण संख्या 29/2012 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 जा.दी. पर बहस में कथन किया कि अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 06 मोटा सिंह पुत्र देवी सिंह का दिनांक 05.02.2023 को देहान्त हो गया है। मृतक मोटा सिंह के प्रार्थी की जानकारी में निम्न विधिक वारिसान हैः—1.मु. कोयली देवी बेवा मोटा सिंह जाति रावत, 2—श्रवण सिंह पुत्र मोटा सिंह रावत, 3—मु.सेना पुत्री मोटा सिंह रावत निवासी भीलांतो का बाडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर, 4—शांति पुत्री मोटा सिंह रावत, 5—रेखा पुत्री मोटा सिंह रावत है। प्रार्थी की जानकारी में मृतक के उपरोक्त विधिक वारिसान में राईट टू स्यू धारित करता है। मृतक रेस्पोडेन्ट संख्या 06 के वारिसान की सूचना बाबत् प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक के वारिसान हेतु प्रार्थना पत्र कायममुकाम पेश करने के निर्देश अपीलांट को न्यायहित में प्रदान किये जावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि मौजा ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का फतेहपुरिया दोयम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावार जिला अजमेर में आराजी स्थित है। वादीगण के हिस्से में आई भूमियों बाबत वादीगण ने खसरा नम्बर 104/1, 103 को भंवरू पुत्र श्री कल्ला को जरिए बेचाननामा दिनांक 12.7.1995 को कर दिया है एवं खसरा नम्बर 142,143,144 का बेचान भी वादीगण द्वारा तेजसिंह पुत्र री मेसासिंह को जरिए बेचाननामा दिनांक 24.2.1998 के कर दिया है। वादीगण द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 105/1 जो कि प्रतिवादीगण बुजुर्गान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण का ही चला आ रहा है। इस बावत लिखित इकरारनामा दिनांक 12.7.1995 भंवरू उर्फ भंवरसिंह पुत्र श्री कल्ला द्वारा रूबरू गवाहान उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के बुजुर्गान श्री सरदारा वगैराह का कब्जा होना एवं भंवरू उर्फ भंवरसिंह पुत्र कल्ला का कोई हक व अधिकार नहीं होना स्वीकार किया है। भूमि आराजी खसरा नम्बर 42, 390, 386, 378 ग्राम रतनपुरा सरदारा एवं खसरा नम्बर 110, 106, 141, 135 वाके ग्राम सिरोला पटवार क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम भूमि अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित चली आती है जो वादीगण के वारिसान है के हिस्से की भूमिया है जिन्हें वाद के साथ संलग्न परिशिष्ट के नजरी नक्शे में नीले रंगमें दर्शाया गया जिस बाबत प्रतिवादीगण एवं वादीगण को आपस में कोई विवाद नहीं है। वाद में वर्णित सजरा अनुसार वादीगण स्व श्री रासा के वारिसान होने के कारण इन्हें पक्षकार बनाया है। अलावा इसके वाद में वर्णित भूमियों में वादीगण का अलग से हिस्सा है लेकिन खसरा नम्बर 38 रकबा 1 बीघा वादीगण व प्रतिवादीगण के शामिल खाते में हैं व शेष 1/4 हिस्सा अन्य वादीकण के हिस्से का है एवं बाहमी बंटवारे अनुसार हाल खसरा नम्बर 379, 136 प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के तन्हा हिस्से व कब्जे, काश्त में चला आ रहा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है लेकिन भू संशोधन के समय राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादीगण के बुजुर्गान के नाम अंकित हो गया जो उनकी मृत्यु के उपरांत उनके वारिसान वादीगण के नाम दर्ज हो गया, जिसे प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण के बुजुर्गान मोती, अमरा पिसरान जग्गा के बाहमी बंटवारे के पश्चात अपने हिस्से में आए हुए खेत साबिक खसरा नम्बर 432, में अपली स्वअर्जित आय से एक कुंआ खुदवाया गया, जिसके हाल खसरा नम्बर 421, 422 बने। इस कारण प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बर 421 रकबा 1 बिस्वा में स्थित कुए के चाह खसरा में वादीगण का नाम विलुप्त करा अपने अकेले के नाम कराने के अधिकारी है। बाहमी बंटवारे अनुसार खसरा नम्बर 131 हाल खसरा नम्बर 102, 103, 104, वादीगण के हिस्से में एवं साबिक खसरा नम्बर 133 हाल खसरा नम्बर 105 प्रतिवादीगण के तन्हा हिस्से व कब्जे में है जिस बाबत दिनांक 12.7.1995 को एक इकरारनामा वादीगण के बुजुर्गान मंगला पुत्र गणेश, वादीगण चन्द्रा मोड़ा मोटा, भंवरू पिसरान देवा द्वारा प्रतिवादीगण को दियास गया तथा वादीगण के हिस्से का खसरा नम्बर 102, 103, 104 उनके द्वारा जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा वादीगण भंवरू पत्रु कल्ला को बेचान की जा चुकी है तथा साबिक खसरा नम्बर 151 के हाल खसरा नम्बर 141, 142, 143, 144, 145, बने हैं, जिसका 4 बीघा 5 बिस्वा है। उक्त खेत वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के नाम दर्ज था किंतु बाहमी बंटवारे अनुसार हाल खसरा नम्बर 142, 143, 144 वादीगण के हिस्से में आए तथा खेत खसरा नम्बर 141 वादीगण के हिस्से में आए व खे हाल खसरा नम्बर 145 प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के हिस्से में आए तभी से प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे अनुसार खसरा नम्बर 145 प्रतिवादीगण के तन्हा कब्जे काश्त व हिस्से में चले आ रहे है व खसरा नम्बर 142, 143, 144 वादीगण द्वारा श्री तेजसिंह को बेचान कर दी तथा वादीगण के द्वारा उक्त बेचाननामा पंजीबद्ध करवाते समय भूमि की सीमाओं में खेत खसरा नम्बर 145 पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण नैना वल्द मोती के कब्जे काश्त में होना मंजूर किया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त समस्त खेत साबिक खसरा नम्बर 151 हाल खसरा नम्बर 142, 143, 144, 145 वादीगण के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर



Scanned with CamScanner

बुजुर्गान गणेश वल्द जग्गा के नाम भू संशोधन के समय अंकित हो गया तथा वर्तमान में गणेश की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान वादीगण के नाम अकेले अंकित हो गई जबकि वास्तव में बंटवारे अनुसार आज भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– एआईआर 1982 एससी पेज 1249, 1986 आरआरडी पेज 10, एआईआर 1982 एससी पेज 1249, 2016 डीएनजे पेज 220, आरआरटी 414।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 10 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की तामील हो चुकी थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 06 मोटा सिंह पुत्र देवी सिंह की न्यायालय द्वारा प्रोपर नोटिस जारी किये गये थे तथा नोटिस की प्रोपर तामिल हो चुकी थी, उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 06 मोटा सिंह उपस्थित नहीं हुए तथा उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक्सपार्टी की जा चुकी थी। जाप्ता दीवानी के आदेश 22 नियम 4 (4) में कथन किया गया है कि जब कभी वह ठीक समझे, वादी को किसी ऐसे प्रतिवादी के जो लिखित कथन फाईल करने में असफल रहा है या जो उसे फाईल कर देने पर, सुनवाई के समय उपसंजात होने में और प्रतिवाद करने में असफल रहा है, विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दे सकेगा और ऐसे मामले में निर्णय उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध उसप्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर भी सुनाया जा सकेगा और उसका वहीं बल और प्रभाव होगा मानो वह मृत्यु होने के पूर्व सुनाया गया हो।

9. गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट नून्द्री मेन्द्रातान में रखकर दिनांक 06.06.2017 को निर्णित किया गया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में रखने से पूर्व पक्षकारान को किसी प्रकार से जरिये नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए है किन्तु उक्त आदेशों की पालना में पक्षकारान को नोटिस जारी किए जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस के इस कथन से सहमत है कि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों को निस्तारित किया जा सकता है जिनमें पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से समझौता/राजीनामा हो गया हो । किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा होने संबंधी कोई दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अधी०न्याया० की उक्त कार्यवाही लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं मानी जा सकती है । अधी०न्याया० की आदेशिका दिनांक 14.2.2017 के अनुसार पत्रावली प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 2 व आदेश 22 नियम 4 जा०दी० के तहत प्रतिवादी संख्या 19 व 20 के वारिसान के कायम मुकाम के सम्मन तलवाना में नियत था किन्तु परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 19 व 20 के सम्मन/तलवाना पेश होने से पूर्व ही प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर अपीलांटस को साक्ष्य एवं

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर



Scanned with CamScanner

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना निर्णित किया है तथा दिनांक 06.06.2012 को कैम्प कोर्ट नून्द्री गेन्द्रातान में जमरी पत्नि अमर सिंह, सरदारसिंह, नेनू सिंह तथा गोकुल ही उपस्थित हुए, शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं थे,जबकि किसी प्रकरण का राजीनामा से निस्तारण किया जाता है तो सभी पक्षकारान की सहमति ली जाती है, प्रस्तुत प्रकरण में सभी पक्षकारान कैम्प कोर्ट में मौजूद नहीं थे, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि समस्त पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है । हस्तगत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए एकतरफा में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जिसे विधिसम्मत् नहीं ठहराया जा सकता है ।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.06.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में मोटा सिंह पुत्र देवी सिंह जाति रावत के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर, समस्त पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को विधिनुसार गुणावगुण पर निर्णित करें। पक्षकारान दिनांक 21.03.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर



Scanned with CamScanner